REVENUE (GROUP-VIII) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 9, 1975.

S. O. 526.—As the Population of prohibited Wild Life species of Gharial (Gavialis Gangeticus) and Crocodile (Crocodilus plaustries) has dwindled considerably almost to the point of extinction, the Government considers necessary to take steps to protect, propagate and develop the above species along with other natural fauna. The Kota Dam (Jawaharsagar) reservoir on river Chambal and Surrounding forests have adequate ecological, faunal, flora, geomorphological natural environment and some population of above wild life species.

Therefore, in exercise of powers conferred under section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 the Government declares the area of this reservoir and surrounding forests, having boundary description as given below as Jawahar Sagar Wild Life Sanctuary. It will come into force from the date of publication in the Rajasthan Gazette.

Description of Boundaries.

North:—Kota Dam (Jawahar Sagar) and Road from Kota Dam to Borabas.

East:—Road from Borabas to Rawatbhata (Rana Pratap Sagar) Dam.

South:—Rawatbhata (Rana Pratap Sagar) Dam and Road from Rawatbhata Dam to Dundesra and Lotiana.

West:—Western Boundary of notified Forest Blocks Ambarani, Guda Rajpura, Bhunjar, Padajhar, Primagra and Road from Masera Ghata to Lotiana.

[No. F. 3 (5) (13) Rev/8/73.]

By Order of the Governor,

के. एल. बराया,

Secretary to the Government.

सहायक वन संरक्षक
वन्य जीव, कोटा

उप वन संरक्षक
(वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

अधिसूचना दिनांक २९-११-७५

[illegible] — चूँकि विज्ञप्ति संख्या [illegible] नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधि-[illegible] के अधीन आरक्षित वन के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।

[illegible] उन भूमियों [illegible] के बारे में आपत्ति/दावे प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत [illegible] और समस्त प्रस्तुत आपत्ति/दावे [illegible] निबटा दी गई है।

[illegible] उक्त [illegible] पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और [illegible] प्रस्तुत की गई अपीलें निबटा दी गई है।

[illegible] प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये प्राप्त की गई समस्त भूमियाँ यदि हों अनिवार्य अवाप्ति [illegible] सरकार में निहित हो गई है।

[illegible] उक्त एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक [illegible] से प्रभाव [illegible] आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे बार अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) [illegible] अधिकार रखते रहेंगे व संलग्न सूची (२) में उल्लेखित सीमा तक ऐसे मौसमों में उक्त वन के ऐसे भाग [illegible] राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये जावें रियायतों का उपभोग करेंगे।

भूमि का विवरण

[illegible] १	[illegible] का परगना ३	मौजा ४	[illegible] वनखण्ड या मौजा हैक्टरों में ५	विशेष विवरण ६
[illegible]	भूचर	[illegible] [illegible] भूचर [illegible] भूचर [illegible] [illegible]	१०५६-२०	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है। नोट— यह रकबा इकाई वनखण्ड का है।
		योग	१०५९-२०	

परिशिष्ट (अ)

[illegible] वनखण्ड [illegible] की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है —

क्रम संख्या [illegible]	स्तम्भ संख्या २	दूरी [illegible] में जरीब ४	दूरी [illegible] में कड़ियाँ ५	दिशा ६	प्रत्येक स्तम्भ तक की रेखा का प्रक्षा एप्रोक्सीमेट बेरिंग ७	
				२० [illegible] पूर्वीय	९०	००
					११३	००
				[illegible]	८७	००
					१११	००
२ [illegible] १	१	२०	४०	[illegible] पूर्वीय	१२०	००

उप वन संरक्षक
(वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

(1) 4

राजस्थान सरकार (Form M')

राजस्व विभाग (ग्रुप-8) ग्रुप-8

विज्ञप्ति

संख्या F2(16) राज-8/79 दिनांक 2 नवम्बर 1979

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बन्जर-भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः, अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जाँच व अभिलेखन, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा;

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जाँच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बन्जर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

Sd.

राज्यपाल की आज्ञा से,

जे. एम. कटकानी

उप शासन सचिव

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6
	श्रीपुरा	त. बेगूं उ.त. रावत भाटा रेन्ज भैंसरोडगढ़	चित्तौड़गढ़	उत्तर :- वन खण्ड भूंजर व ग्राम श्रीपुरा की आबादी तथा ब्लॉक के पीर मगरा पूर्व :- ब्लॉक कालारेत ब्राह्मनी का पश्चिमी किनारा दक्षिण :- ब्राह्मनी नदी का किनारा पश्चिम :- लोडियाना ग्राम रेन्ज (कुवांखेडा) की सीमा तथा [illegible] की आबादी	

ह० 702-11-78-5000 फॉ०

दिनांक 27.8.1981 भाग 1(ग) पृष्ठ सं. 155 पर [illegible]

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

P.T.

(9)

जयपुर, नवम्बर 26, 2002

संख्या 2 (22) वन/2002:-चूंकि इसके साथ निम्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या एफ 2(16)राज/8/79 दिनांक 2-11-1979 के अनुसरण में किया जा चुका है।

अत: अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जायेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा खसरा नं.	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में बीघा	विशेष विवरण बिस्वा
चित्तौड़गढ़	बेगूं	खालगांव ए. बी.	15 मी.	112	12
			54/1	242	19
			64/1	216	00
			53	5	05
		योग	4	576	16

एकड़ = 233.52
हैक्टर = 124.58
वर्ग कि. मी. = 1.246

परिशिष्ट (अ)

वन खण्ड खालगांव "ए" रेन्ज या विस्तार भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में जरीब	कड़ियां	दिशा फारवर्डिंग बियरिंग	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	2	9	20	47°	सीधी रेखा
2.	2	3	5	40	29°	-''-
3.	3	4	10	40	126°	-''-
4.	4	5	8	10	116°	-''-
5.	5	6	31	60	नाला नाला	नाले नाले
6.	6	7	6	00	189°	सीधी रेखा
7.	7	8	7	05	97°	-''-
8.	8	9	8	20	135°	-''-
9.	9	10	64	20	नाला नाला	नाला नाला
10.	10	11	14	50	261°	सीधी रेखा
11.	11	12	6	20	262°	-''-
12.	12	13	9	70	334°	-''-
13.	13	14	18	60	334°	-''-
14.	14	15	16	60	नाला नाला	नाला नाला
15.	15	16	18	70	90°	सीधी रेखा
16.	16	17	26	00	335°	-''-
17.	17	1	4	80	नाला नाला	नाला नाला

नोट:-1. जरीब से अभिप्राय 76 1/4 की जरीब से है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं।
2. माप से अभिप्राय भूमि सतह के माप से है।
3. फोरवर्ड बियरिंग नक्शे के आधार पर खाना नं. 6 में दर्ज है।

उप वन संरक्षक
(वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

विज्ञप्ति

(धारा 20 के अधीन)

संख्या प. 8(3)वन/2008 दिनांक 5/8/2008

चूंकि विज्ञप्ति संख्या एफ 1(11) फारेस्ट /49 दिनांक 18 फरवरी सन 50 से राजपत्र दिनांक 4 मार्च सन 50 द्वारा नीचे लिखी भूमि को [illegible] वन अधिनियम [illegible] की धारा 4 के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अभ्यावेदनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अभ्यावेदनायें अंत में निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अभ्यावेदनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हो अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक .... से प्रभाव में [illegible] हुए आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखी [illegible] सूची (1) में [illegible] सूची (2) में [illegible] में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा [illegible]

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुख्य [illegible] एवं
अतिरिक्त [illegible]
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टिया वन-खण्ड	मौजा	सम्मिलित वन खण्ड या मौजा [illegible] खसरा नं.	विशेष विवरण	
					बीघा	बिस्वा
चित्तौड़गढ़	रावतभाटा	पीरमगरा	भैंसरोड़गढ़	1	149	01
				2	984	06
				3	7	15
				4	25	10
				156	295	00
				157		12
				159	171	10
				160	224	00
				161	3	05

प्रमाणित प्रति
वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा

मुख्य वन संरक्षक एवं
[illegible] शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा

लगातार...2

उप वन संरक्षक
(जीव) [illegible]
कोटा

सच्ची प्रतिलिपि

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जिला	तहसील	पट्टिया वन खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन खण्ड या मौजा एकड़ों में खसरा नं.	विशेष विवरण बीघा	बिस्वा
			भैंसरोड़गढ़	162	12	07
				163	19	18
				164	730	10
				165	59	00
				166	1	13
				341	521	00
				343	1306	06
				344	668	15
				345	310	00
				18	5490	06
			जगपुरा	1	183	05
				2	344	05
				3	998	00
				5	2	03
				9 मी.	205	10
				5	1733	03
			सामेरा	1	1	05
				3		05
				5		03
				6		02
				7	1	[illegible]
				11	0	04
				6	3	14
			भूअरखुर्द	70मी.	65	10
				1	65	10
			पाम्पुरा	1	76	14
				3मी.	155	00
				2	231	14
			अनसर्वेड		9247	01
			कुल		16771	08

3622 हैक्टेयर

36.22 वर्ग मी.कि

निरीक्षक
[illegible] वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा

व. [illegible] अधिकारी
कोटा

मुख्य वन संरक्षक एवं
अतिरिक्त सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

उप वन संरक्षक
(वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

सच्ची प्रतिलिपि

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर (राज.)